नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए		हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		12-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प मदुकलां पर पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर है। रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित है। अपीलार्थी को सुना गया। प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/2016	9.3.2016	12.5.2017

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

रामेश्वर पुत्र काडयाराम, मीना निवासी रिंगसपुरा तह0 नादौती ——रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरुद्ध नामन्तरकरण संख्य 426 दि0 6.2.2012 ग्राम सालोदा

उपस्थित :— तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम सालोदा जमाबंदी सं0 2068—71 के खाता 13 में ख0नं0 415 रकबा 0.56 है0 कडी बेवा ग्यारसा, रणधीर, गिर्राज, दामोदर, भीमराज, बुधराम, किशनसिंह पिता ग्यारसा व गिर्राजी पुत्री ग्यारसा हिस्सा 1/2, रामेश्वर पुत्र नारायण हिस्सा 20/42 जाति गुर्जर, मुकेश कुमार पुत्र डोगाराम हि. 1/42 जाति मीना निवासी सलेमपुर तह0 सपोटरा खातेदार दर्ज है। खातेदार रामेश्वर पुत्र नारायण हिस्सा 20/42 जाति गुर्जर सा.देह ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट रामेश्वर पुत्र काडयाराम जाति मीना निवासी रिंगसपुरा तह0 नादौती जिला करौली को ग्राम सालोदा के ख0नं0 415 रकबा 0.56 है0 में से 129/5600 हिस्सा का विक्रय किया है जो भू खण्ड की श्रेणी में आता है जिसका पटवारी हलका महूकलां ने नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 6.2.2012 दर्ज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3/63/राजस्व/ग्रुप/2009 दिनांक 28.4.11 एवं परिपत्र दिनांक 25.10.2010 से भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। पटवारी हलका द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा भूखण्डो के नामान्तरकरण दर्ज करने पर रोक होने के उपरान्त भी भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों के विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विक्रय किए गए भूखण्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 2.12.15 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर आई। धारा 5 मियाद अधिनियम की दर0 अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा का नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 6.2.2012 निरस्त फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 426 दि0 6.2.2012, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 31.7.2009, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071, सं0 2072 से 2075, फोटोकोपी परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 31.7.2009 के अनुसार रामेश्वर पुत्र स्व0 नारायण जाति गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी ने रेस्पोन्डेन्ट रामेश्वर पुत्र काडयाराम जाति मीना निवासी रिंगसपुरा तह0 नादौती को ख0नं0 415 रकबा [illegible] हैक्टेयर ग्राम सालोदा में से स्वयं के हिस्से में से हिस्सा 129.58/5600 भूमि विक्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 426 दि0 6.2.12 पटवारी हल्का द्वारा रामेश्वर पुत्र काडयाराम के पक्ष में खोला गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 के विरुद्ध खोला गया है एवं इस परिपत्र के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 426 दिनांक 6.2.2012 ग्राम सालोदा निरस्त किया जाता है। पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी